तेजश्री घाग इत्यादि

बनाम

प्रकाश परशुराम पाटिल व अन्य

17 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानूनः

स्थानांतरण-उच्च समय पैमाने से निम्न समय पैमाने पर कर्मचारियों का स्थानांतरण-वेतन-सह-कर्मचारियों के नुकसान से पीड़ित कर्मचारियों को भी निम्न से उच्च स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है-उच्च न्यायालय-सह-कर्मचारियों द्वारा अलग रखे गए स्थानांतरण आदेशों में कहा गया है कि सेवा के नियम और शर्तें 2005 के नियमों द्वारा शासित हैं, इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश स्थाई नहीं है-अपील में निर्धारित किया गयाः जब तक कर्मचारियों की सेवाओं के नियमों और शर्तों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता है, तब तक वे उस समय मौजूद नियमों द्वारा शासित होंगे जब विवादित आदेश पारित किए गए थे - 2005 के नियमों को पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है - स्थानांतरण आदेश पारित करने की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल मौजूदा नियमों के संदर्भ में किया जा सकता है - साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया जाना

चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को यथास्थिति रखा में गया- महाराष्ट्र शिक्षा सेवा नगरपालिका विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बोर्ड, सहायक उप शिक्षा निरीक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी, कनिष्ठ शिक्षा महाविद्यालयों में सहायक शिक्षक, समन्वयक, परामर्शदाता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पुणे में कनिष्ठ महाविद्यालयों में व्याख्याता, कार्यक्रम सहायक, विज्ञान पर्यवेक्षक, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक, विषय सहायक, विषय विशेषज्ञ और तकनीकी सहायक (भर्ती) नियम, 2005

महाराष्ट्र शिक्षा सेवा समूह 'सी' के संवर्ग में 16 श्रेणियों के पद थे। 1991 में एक विज्ञापन के अनुसार, उत्तरदाताओं को सीधे सहायक उप शिक्षा निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद सहायक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और विज्ञान पर्यवेक्षक के पद के लिए नियुक्तियां की गईं। कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। एक औपचारिक वरिष्ठता सूची केवल वर्ष 2001 में ही प्रकाशित की गई थी। आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। उत्तरदाताओं को सहायक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक, शिक्षक और सहायक, शिक्षक/सहायक, परियोजना अधिकारी का तबादला एडीईएल पद पर किया गया। परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के वेतन की मात्रा कम हो गई। उत्तरदाताओं ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। मूल याचिका/प्रार्थना पत्र

और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कि गयी। निजी प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाएं दायर की। न्यायाधिकरण का आदेश और पुनरीक्षण याचिकाओं के आदेश को अपास्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज की गई।

अभिनिर्धारितः 1.1 . महाराष्ट्र शिक्षा सेवा समूह 'सी' 16 श्रेणियों के पद शामिल हैं। उस समय सभी पदों को वेतनमान के मामले में समकक्ष नहीं गया। यह तर्क दिया गया है कि उच्च विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों को त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। बताया जाता है कि उच्च विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों को त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था.

यह तर्क दिया गया है कि उच्च विद्यालय में शेयरधारकों वाले एकल स्टूडियो को त्रिस्तरीय वेतनमान देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। इसके अनुसार यदि उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रभावी किया जाता है, तो यह शिक्षा विभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लंघन होगा और केवल इस मामले को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा सेवा नगर निगम स्कूल बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी, सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी, जूनियर महाविद्यालयों में सहायक शिक्षक, समन्वयक, परामर्शदाता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद में विस्तार अधिकारी, जूनियर कॉलेजों में व्याख्याता, कार्यक्रम सहायक, विज्ञान पर्यवेक्षक, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक, विषय सहायक, विषय विशेषज्ञ एवं तकनीकी सहायक (भर्ती) नियम, 2005 बनाये गये हैं। 2005 के नियमों के आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव को ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया। राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को भी उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

{पैरा नं. 9, 10 व 14} [214-डी, ई, बी, सी:220-ए]

1.2. उत्तरदाता उन पदों के धाश्रेणी थे जिन पर वे कार्यरत थे। इन पदों पर निर्धारित वेतनमान होते थे। इस प्रकार उनकी सेवा के नियम और शर्तें, जब तक कि स्पष्ट रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता है। उन नियमों द्वारा जो उस समय मौजूद थे जब विवादित आदेश पारित किए गए थे, से नियंत्रित की जायेगी। यह सही है कि राज्य के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत बनाए गए नियम बनाकर भूतलक्षी प्रभाव के साथ भी सेवा के नियमों और शर्तों को बदलने की शक्ति है, लेकिन यह भी सुस्थापित है कि इस तरह से बनाए गए नियमों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

{पैरा नं. 11 व 12} [219-एफ, जी]

1.3. स्थानांतरण के आदेश प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए थे। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल प्रभावी नियमों के अनुसार किया जा सकता है। कार्यकारी आदेश के परिणाम से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन की जाना आवश्यक है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें स्थानांतरण का आदेश एक संगठन में स्थान परिवर्तन के माध्यम से पारित किया गया है। स्थानांतरण का आदेश आम तौर पर मौजूदा नियमों के संदर्भ में होना चाहिए। स्थानांतरण सेवा की शर्तों के अनुसार आकस्मिक हो सकता है, लेकिन इस तरह किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकती है। एक शक्ति का अस्तित्व और उसका प्रयोग दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सिविल या दंडात्मक दायित्व उत्पन्न होते हों। इस शक्ति का प्रयोग सदभाविक होना चाहिए। इसका प्रयोग अप्राधिकृत कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कार्यपालिका आदेश यदि अप्राधिकृत रूप से जारी किया जाता है तो यह कानून गलत है। स्तानान्तर का आदेश को प्रतिकूल धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह कर्मचारी की सेवा की शर्तों का उल्लंघन होगा और जो अवैध होगा। समतुल्य पद का स्थानांतरण समतुल्य पद पर किया जाना चाहिए। स्थानांतरण के आदेश को न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी

मामले में प्राकृतिक सिद्घान्तों के पालन किए बिना पारित नहीं किये जाने के आधार पर आक्षेपित किया जाना चाहिए।

{पैरा नं. 15 व 17} [220-बी, ईः 221-सी, डी]

रामाधर पांडे बनाम यू. पी. और अन्य का राज्य, [1993] स.प. 3 एससीसी 35;

हुसैन सासण साहब कलादगी बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1988] 4 एस. सी. सी 168 और पी. सी. वाधवा बनाम भारत संघ और अन्य, [1964] 4 एस. सी. आर. 598 सन्दर्भ कुलपति, एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय बनाम। दयानंद झा, [1986] 3 एससीसी 7: प्रसार भारती और अन्य। अमरजीत सिंह और अन्य। [2007] 2 स्केल 486 का सन्दर्भित किया गया है।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील संख्या 2697/2007

बोम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.3.2006 के पैरा संख्या 86, 87, 88, 155, 166, 3088, 3089 & 3114 2004 से।

अपीलार्थी की ओर से; सी. बालकृष्ण, पी. वी. दवारे और डॉ. कैलाश चंद।

उत्तरदाता की ओर से; इंदू मल्होत्रा, अर्जुन सुरेश, ए. पी. मयी और वी. एन. रघुपति ।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह निर्णय आदेश दिनांक 22.03.2006 जो बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित किया गया जिसमें और जिसके तहत न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 13.03.2002 के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश दिनांकित 14.08.2003 को अपास्त किया गया, के खिलाफ दायर की गयी।

3. उक्त रिट याचिकाएं निम्नलिखित परिस्थितियों में उच्च न्यायालय विचार के लिए प्रस्तुत की गईं।

4. महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा विभाग में मौजूद सहायक शिक्षकों का एक संवर्ग जिसमें उक्त पदों में 16 श्रेणियां थी। निरीक्षक (संक्षेप में, "एडीईआई") के लिए एक विज्ञापन के अनुसार महाराष्ट्र के लिए विज्ञापन दिनांक 01.10.1992 का जारी किया गया और सहायक के पदों के लिए भी वही संवर्ग जारी किए गए थे। शिक्षक, शारीरिक नियुक्ति के अनुसार शिक्षा शिक्षक, विज्ञान पर्यवेक्षक आदि उक्त पद बनाए गए थे। हालांकि,

लम्बे समय तक कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। एक औपचारिक वरिष्ठता सूची केवल 09.08.2001 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने से पहले आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

5. उत्तरदाता, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, जिसको सहायक उप शिक्षा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक शिक्षक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया और एडीईएल के पद पर लगा दिया गया था। जिसके कारण, उत्तरदाताओं को नुकसान उठाना पड़ा उनके वेतन की मात्रा को कम हो गयी।

6. उनके द्वारा महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था:

(i) वरिष्ठता सूची के आधार पर स्थानांतरण के आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर थे;

(ii) जो सहायक शिक्षक के पद पर थे। शिक्षक को एडीईआई के रूप में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे इसके लिए योग्य नहीं थे; और

(iii) ऐसे तबादलों के कारण उत्तरदाताओं का वेतनमान कम हो जाएगा।

7. 13.03.2002 दिनांकित आदेश के कारण उक्त मूल आवेदन खारिज कर दिए गए। इसके खिलाफ दायर समीक्षा आवेदनों को भी खारिज कर दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में इसके दिनांक 22.03.2006 के निर्णय की शर्तें जो विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को देय वेतनमान को ध्यान में रखते हुए हमारे समक्ष विवादित हैं। सुझाव

"उपरोक्त चर्चा से जो बात सामने आती है एडीईआई के उक्त पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती नियमानुसार कर सकती है। यह पदोन्नति सीधी भर्ती से हो सकती है। सहायक परास्नातक के अन्य, एडीईआई के पास पदोन्नति का अवसर उप शिक्षा निरीक्षक जिसमें ग्रेड III के पद के लिए नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी यह अधिकार नहीं रखते कि इन पदों को एक सामान्य वरिष्ठता के तहत या उस मामले के लिए जोड़ा जाए। पदों को एक से दूसरे में हस्तांतरणीय किये जाये। यह समान पदों के धारकों को एक वर्ग से संबंधित मानते हुए होगा, जो वे नहीं हैं। यह भर्ती नियमों का भी उल्लंघन होगा और एडीईआई के प्रचार मार्ग को प्रभावित करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है स्थानांतरण, याचिकाकर्ता का यह अधिकार प्रभावित हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

8. इसके अलावा यह माना गया कि कम समय वेतनमान वाले मूल पदों पर बैठे व्यक्तियों का स्थानांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,

16 और 311 का उल्लंघन होगा यह कहा गया था: "आदेश में वेतन की हानि के साथ-साथ वरिष्ठता की हानि और पदोन्नति की भविष्य की संभावनाओं को स्थगित करना शामिल था। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत ने उस मामले में कहा कि श्रेणी में कमी के प्रभाव से, अपीलकर्ता को वेतन की हानि हुई और उसे भी नुकसान उठाना पड़ा। वरिष्ठता की हानि और साथ ही वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की भविष्य की संभावनाओं में रोक हुई। इसलिए, इन तथ्यों पर, अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को पद की अनुपलब्धता के प्रशासनिक कारणों से नहीं, बल्कि अलग-अलग कारणों से वापस भेजा गया था। इसलिए प्रतिवादी राज्य का कार्य, याचिकाकर्ता को उच्च समय वेतनमान से निम्न समय वेतनमान में स्थानांतरित करने पर अनुच्छेद 311 लागू होगा। भारत के संविधान के अनुसार पद में कमी सज़ा के माध्यम से हो सकती है। यदि सरकारी कर्मचारी के पास किसी विशेष श्रेणी का अधिकार है, तो उस श्रेणी से कटौती दंड के रूप में कम होगी, क्योंकि तब वह उस श्रेणी की उपलब्धियाँ और विशेषाधिकारों को खो देगा। ऐसे मामलों में कटौती दंड के माध्यम से है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए यह परीक्षण करना होगा कि क्या कटौती का आदेश किसी दंडात्मक परिणाम के साथ नौकरी को भी दिया जाता है। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं को दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी परिलब्धियाँ और श्रेणी के विशेषाधिकार खो रहे हैं।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी. बालकृष्ण ने अन्य बातों के अलावा यह बताया है कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम वैधानिक नियमों द्वारा शासित होने के कारण, आक्षेपित निर्णय को निरन्तर नहीं रखा जा सकता है। इस संबंध मे हमारा ध्यान अनुच्छेद 309 के परंतुक के संदर्भ में नियम बनाने वाली दिनांक 27.05.2005 की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया गया है। भारत के संविधान में 'महाराष्ट्र शिक्षा सेवा' कहा जाता है, नगरपालिका स्कूल बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी, सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी, शिक्षा के जूनियर कॉलेजों में सहायक शिक्षक, समन्वयक, परामर्शदाता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पुणे में विस्तार अधिकारी, व्याख्याता कनिष्ठ महाविद्यालयों में, कार्यक्रम सहायक, विज्ञान पर्यवेक्षक, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक, विषय सहायक, विषय विशेषज्ञ और तकनीकी सहायक (भर्ती) नियम, 2005' (नियम) जिनके अनुसार, उत्तरदाता सहायक उप शिक्षा निरीक्षक के पद पर रहने के हकदार नहीं थे।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि महाराष्ट्र शिक्षा सेवा समूह 'सी' के कैडर में 16 विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। हर समय सभी पदों को कम से कम वेतनमान के मामले में एक समान नहीं माना जाता था। बताया जाता है कि उच्च विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों को त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया

गया था। इसके अनुसार यदि उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रभावी किया जाता है, तो यह शिक्षा विभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लंघन होगा और इस मामले को ध्यान में रखते हुए ही 2005 नियमावली बनाई गई है।

11. यहां उत्तरदाता उन पदों के धारक थे जिन पर वे कार्यरत थे। इन पदों के लिए निर्धारित वेतनमान लागू थे।

12. इस प्रकार, उनकी सेवा के नियम और शर्तें, जब तक कि स्पष्ट रूप से नहीं बदली जातीं, उन नियमों द्वारा शासित होंगी जो उस समय अस्तित्व में थे जब विवादित आदेश पारित किए गए थे। यह सच है कि राज्य के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम बनाकर भूतलक्षी प्रभाव से भी सेवा की शर्तों और शर्तों को बदलने की शक्ति है, लेकिन सुस्थापित है कि नियम आमतौर पर स्पष्ट रूप से बताने चाहिए।

13. यह तर्क दिया गया है कि 2005 के नियम की प्रकृति में भूतलक्षी है या भूतलक्षी प्रभाव रखते है।

14. उक्त नियमों के कारण उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया

गया। राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को भी उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

15. स्थानांतरण के आदेश प्राधिकरी द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में पारित किए गए थे। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल मौजूदा नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कार्यकारी आदेश के परिणामस्वरूप सिविल परिणाम होते हैं, उससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां किसी संगठन के भीतर रोजगार के स्थान को बदलकर स्थानांतरण का आदेश पारित किया गया है। स्थानांतरण का आदेश सामान्यतः मौजूदा नियमों के अनुरूप होना चाहिए। स्थानांतरण सेवा शर्तों के लिए आकस्मिक भी हो सकता है, लेकिन इससे किसी को भी उसके मौजूदा अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी शक्ति का अस्तित्व और उसका प्रयोग दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। किसी वैधानिक नियम के अभाव में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिसके सिविल या दंडात्मक परिणाम होते है। इसके अलावा, शक्ति का ऐसा प्रयोग प्रामाणिक होना चाहिए। यह अनाधिकृत उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। अनधिकृत उद्देश्य के लिए पारित कार्यकारी आदेश कानून में दुर्भावना के समान होगा। स्थानांतरण का आदेश किसी कर्मचारी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि स्थानांतरण के आदेश

किसी कर्मचारी की स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करता हो, तो यह सेवा की शर्तों का उल्लंघन होगा और वह अवैध होगा। स्थानांतरण समकक्ष पद पर किया जाना चाहिए। [रामाधार पांडे बनाम यूपी राज्य और अन्य (1993), (3) एससीसी 35 हुसैन सासन साहेब कलादगी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1988) 4 एससीसी 168 और पीसी वाधवा बनाम भारत संघ और अन्य [1964 (4) एससीआर 598]

16. कुलपति, एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय बनाम दयानंद झा, [1986] 3 एस. सी. सी. 7 में अभिनिर्धारित किया है किः-

(i) समानता के लिए सही मानदंड स्थिति और उसकी प्रकृति दोनों पदों से जुड़े कर्तव्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, प्रधानाचार्य और पाठक के दो पद समान वेतनमान पर किए जाते हैं। प्रधानाचार्य के पद पर निस्संदेह उच्च कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ होती हैं। (ii) उसे सिंडिकेट के सदस्य के रूप में नामित होने का अधिकार है। (iii) संस्थान के प्रमुख के रूप में, उनका इस पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। महाविद्यालय के प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और अन्य शिक्षण और गैर-टी. ई. जे. एस. एच. ए. जी. ई. टी. सी.। (iv) एक घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी होता है - विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के पदेन सदस्य। (v) उसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का यह मानना

सही था कि रीडर के पद को कानूनी दृष्टि से प्राचार्य के समकक्ष पद नहीं माना जा सकता है। हो सकता है, जब विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय के मामले कुप्रबंधित हों, तो कुलपति, प्रशासनिक कारणों से, अपने द्वारा संचालित किसी विभाग या महाविद्यालय के प्रोफेसर या रीडर को ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन यह सच नहीं हो सकती. जबकि प्रोफेसर और रीडर अपनी शिक्षा और विद्वता के कारण किसी महाविद्यालय के डीन या प्राचार्य की तुलना में समाज में कहीं अधिक सम्मान का प्राप्त कर सकते हैं।

17. किसी भी स्थिति में न्यायाधीकरण के समक्ष पारित स्थानांतरण के आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किए बिना पारित नहीं किए जा सकते थे।

18. प्रसार भारती और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से हम अनभिज्ञ नहीं हैं । वी. अमरजीत सिंह और अन्य। [2007 (2) स्केल 486] में अभिनिर्धारित किया गया है कि स्थानांतरण का आदेश, यदि अन्यथा है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, को बरकरार रखा गया था।

19. इस मामले में हम नियमों के प्रवर्तन से चिंतित नहीं हैं। उन्हें बाद के चरण में लागू किया गया। यह राज्य पर निर्भर है कि वह उक्त

नियमों के प्रावधानों को केवल तभी लागू करे जब कोई अवसर उत्पन्न हो, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त नियमों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जायेगा, लागू आदेशों को उसके कारण या अन्यथा द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है।

20. इसलिए, इस अपील में कोई आधार नहीं हैं। तदनुसार इसे लागत सहित खारिज किया जाता है। वकील की फीस 10,000/- रुपये निर्धारित की गई।

अपील खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार कराड़िया (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।